Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2016 = 4.44, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.48612, OCT- NOV 2017, VOL- 4/24

मानवाधिकार शिक्षा के साधन के रुप में प्रसार माध्यमों की भूमिका

गीता सिंह, Ph. D.
एसो0 प्रो0, डी0वी०यन0पी0जी0 कालेज, गोरखपुर

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

भूमिका

मानवाधिकार की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी की मानवजाति, समाज व राज्य । मानव अधिकारों की धारणा मानव सुख से जुड़ी है। मानव सुख की धारणा बढ़ते–बढ़ते समाजिक सुख, राष्ट्रीय सुख और अन्तर्राष्ट्रीय सुख में परिणित हो गई है। आधुनिक काल में यह माना जाने लगा है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुख–समृद्धि मानव अधिकारों की उपलब्धि और उपभोग पर अधारित है। मानव अधिकार के बारे में कई सिद्वान्त प्रतिपादित किये गए है। प्रारम्भ में सबसे प्रमुख सिद्धान्त प्राकृतिक विधि के दार्शनिकों ने यह प्रतिपादित किया कि प्राकृतिक अधिकार ही सर्वोच्च है। इन अधिकारों को इन दार्शनिकों ने निरपेक्ष बताया और यह प्रतिपादित किया कि प्राकृतिक अधिकार सर्वव्यापी है। मानव अधिकार या मूल स्वतंत्रताएं जिसके प्रति आदर संवर्धन और संरक्षण का आन्दोलन विश्वभर में चल पड़ता है, उससे छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब कोई अछूता नहीं है। यह आन्दोलन अपनें तीन बहुचर्चित आयामों मानव गरिमा और महत्व के प्रति आदर का संवर्धन, समाजिक प्रगति को प्रोत्साहन और बड़े पैमाने पर बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति, को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह आन्दोलन मानव अधिकार के प्रवर्तन के प्रति उदासीन है, यह तो इसमें अन्तर्निहित ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर आ जाने के पश्चात तो इसका महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मानव अधिकार सम्बन्धी आन्दोलन को गति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो गया है। आज मानव की संकल्पना सार्वमौमिक है, सभी के लिए समान है, मूलवंश, जाति, रंग, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना।

मानवाधिकार अर्थ

इससे पहले कि हम यह जाने कि मानवांधिकार का क्या अर्थ है यह जान लेना अनुपयुक्त न होगा कि अधिकार क्या है ? हैरोल्ड लास्की के अनुसार " अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां है जिनके बगैर समान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता मनुष्य के लिए जहॉ रोटी, कपड़ा और मकान अपरिहार्य है वहीं इसके साथ अतिपय ऐसी अन्य चीज है जो आधुनिक मानव समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसमें मानवधिकार भी शामिल है। अतः साधारण रुप में मानवाधिकार को हम वे अधिकार कह सकते है जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रुप से मिलने चाहिए क्योंकि वह मानव परिवार का एक सदस्य है। मानव अधिकारों की धारणा मानव गरिमा से जुड़ी हुयी है, अतएव वे अधिकार जो मानव की गरिमा बनाने के लिए के लिए आवश्यक है उन्हें मानव अधिकार कहा जा सकता है। इस प्रकार मानव अधिकारों की धारणा आवश्यक रुप से न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर अधारित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत मानव अधिकार की परिभाषा इस प्रकार की गई है – ***"मानव अधिकार" से अभिप्राय संविधान द्वारा प्रत्याभूत तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसविदाओं में सम्मिलित एवं भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता समानता एवं गरिमा से है।*** इस परिभाषा में मानव अधिकार की परिधि संविधान में समाविष्ट मानव अधिकार से अधिक व्यापक है। जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रंसविदाओं में सूचीबद्ध अधिकारों को भी अन्तर्विष्ट किया गया है।

मानवाधिकार का महत्व

मानव अधिकारों का महत्व निर्विवाद है। अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। विश्व प्रसिद्ध अनेक दार्शनिकों ने इसका गुणगान किया है। मानवाधिकार की जो स्थिति आज है वह व्यक्ति के राज्य के महती शक्ति के विरुद्ध सदियों के संघर्ष का परिणाम है और आज कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है कि ये अधिकार जो मानव के हैं, मानवता की सम्पन्न और सुंसंस्कृत जीवन की मॉग जिसमें उसके अन्तर्निहित गरिमा को आदर व संरक्षण मिलेगा, के रुप में प्रस्तुत है। जब हम मानवाधिकार की बात नहीं करते अपितु जीवन की इस दशाओं की भी बात करते है, जो हमें इस लायक बना सकें कि हम अपना पूर्ण विकास कर सकें और अपने बुद्धि और अन्तचेतना का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर सके। मानवाधिकार, वास्तव में हमारी प्रकृति के मूल तत्वों में है जो हमारें दैनिक जीवन को विभिन्न रुपों को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, विशेष रुप से नये और अकल्पनीय विध्वंस के नये अस्त्रों, तथा अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के देशों के सार्वभौमिक (global) परस्पर निर्भरता के उभार से मानवाधिकारों के महत्व में एक नया आयाम जुटा है। मानवाधिकार के शान्ति के प्रश्न जुट जाने के कारण भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का महत्व बढ़ गया है। मानवाधिकार का महत्व इस बात से भी जाना जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब 1945 में संयुक्त राष्ट् संघ की स्थापना हुई तो मानवाधिकार के सम्वर्धन एवं संरक्षण को इसने अपने प्रमुख उद्देश्यों में रखा। मानवाधिकार, मूक एवं राजनैतिक और नैतिक संकल्पना नहीं है यह एक विधिक संकल्पना भी है। मानवाधिकार अब विकसित होते हुए विधि शास्त्रीय साहित्य का विषय वस्तु बन गयी है। संयुक्त राष्ट्संघ की स्थापना के पश्चात अब अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मानवाधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

मानवाधिकार शिक्षा

मानवाधिकार की उपादेयता सिद्ध हो जाने के पश्चात यह निर्विवाद रुप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों की जानकारी होना परमावश्यक है, मानवाधिकार शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जो शिक्षा हमें मानवाधिकार से सम्बन्धित समस्त बातों की जानकारी प्रदान करती है उसे हम मानवाधिकार सम्बन्धी शिक्षा कह सकते हैं। वर्तमान समय में मानवाधिकार शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर देने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर से ही मानवाधिकार का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। मानवाधिकार को मूल अधिकारों के ज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है जो आज शिक्षा के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समाहित है। इस प्रकार उच्चतर माध्यमिक स्तर तक इसकी शिक्षा नागरिक शास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत तथा उच्च स्तर की शिक्षा के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्र तथा रक्षा अध्ययन के अन्तर्गत तथा विधि की कक्षाओं में मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार मानवाधिकार शिक्षा हेतु प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थाएं इसके उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

इस प्रकार औपचारिक तथा निरौपचारिक साधन इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। विद्यालय, परिवार, समान विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन, सूचना तकनीकी का योगदान सराहनीय है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्संघ की भूमिका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्संघ व्यवस्था के साथ जुड़े हुए विशिष्टीकृत अभिकरण भी मानवाधिकार के सम्वर्धन और संरक्षण के कार्य में अपने तरीके से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों के अन्तर्गत लगे हुए है। इनमें से प्रमुख हैं– अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), विश्व स्वास्थ संगठन व कृषि संगठन।

मानवाधिकार शिक्षा के साधन के रुप में प्रसार माध्यमों की भूमिका

मानवाधिकार शिक्षा के संवर्धन और संरक्षण के लिए जन सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मानवाधिकार सम्बन्धी मुद्दों को प्रमाणित करने में लोकतंत्र का बहुत बड़ा हाथ है। मानवाधिकार के प्रति आदर की भावना को विकसित करने के लिए लोकमत सबसे विश्वस्त तरीका है। आजकल लोकमत और विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत की अवहेलना नहीं की जा सकती हैं। इसी लोकमत का परिणाम हमारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 हैं। कोई भी कितनी ही शक्तिशाली सरकार क्यों न हो, विश्व लोकमत के प्रति असंवेदनशील नहीं हो सकती और मानवाधिकार के प्रति आदर के विकास के लिए राज्यों को बाध्य करने का यह सशक्त माध्यम है। मानवाधिकार की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के पीछे यदि अन्तिम नहीं तो समान्य अनुशासित लोकमत ही है। लोकमत कैसे बनाया जाय या संगठित किया जाय ? यहीं प्रसार माध्यमों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस युग में आज हम रह रहे हैं, वह प्रत्यक्ष रुप से अनावृत्त करने (exposure) और प्रसार का युग ही फासेट, न्यायिक प्रकिया और

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के अतिरिक्त प्रसार को मानवाधिकार के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। वह एक कदम और आगे जाकर कहते हैं कि "मानवाधिकार के लिए प्रसार स्वंय में लगभग एक मूल मानव अधिकार है।" यहाँ प्रसार की आवश्यकता पर इसलिए जोर नहीं हो सकता, कभी–कभी यहाँ सामान्य भी हो सकता है किन्तु यह वह माध्यम है जिसके द्वारा मानवाधिकार को समझा जा सकता है, इसे मान्यता प्राप्त होती है, इसका विशदीकरण होता है और जहॉ इसका उल्लघंन होता है, या जहाँ उसकी वंचना होती है यहाँ लोगों की जानकारी में लाया जाता है।

प्रसार का कार्य होता है व्यवहार के उन न्यूनतम मानकों को लोगों की जानकारी में ले आना जिनके लिए वे हकदार होते है, मानवाधिकार के उल्लंघनों को लोगों की जानकारी में ले आना तथा लोक बहस को सतत बनाये रखना तथा उन मानकों को विवेक सम्मत बनाना तथा उनके आयामों को विस्तृत करना। इस सम्बन्ध में सैयद सहाबुद्दीन लोकमत व प्रसार की भूमिका पर जोर देते हुए कहते है कि मानवाधिकार का उल्लंघन दुनियाभर में इसलिए होता है कि इन उल्लघंनों में अन्तर्निहित नियति और पीड़ा से दुनियाभर के लोग पूर्ण रुप से अनभिज्ञ है। यदि लोग सत्य जान जाये तो वह प्रभावी होगा।

अनावृत्ति और प्रसार का एक सशक्त माध्यम प्रेस है मानवाधिकार के सम्वर्धन और संरक्षरण में इसकी भूमिका किसी वर्णन का मुहताज नहीं है। मानवाधिकार के उल्लंघन के के प्रति लोक भावना को सतर्क करने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण प्रेस और सूचना के अन्य माध्यम है। परन्तु इसके साथ एक कठिनाई यह है कि प्रेस सभी जगह स्वंतत्र नहीं है और सूचना की स्वतंत्रता आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। जहाँ प्रेस स्वतंत्र भी है वहॉ भी वे अपने कर्तव्यों का पालन समुचित ढ़ग से नहीं करते और मानवाधिकार के प्रति निरुत्साह प्रदर्शित करते हैं। प्रेस के अतिरिक्त सम्प्रेषण और प्रचार मानवाधिकार को आवश्यक औजार है। संप्रेषण का तात्पर्य है चिन्हों, संदेशों और विचारों का अन्तरण, जिसके लिए आवश्यक है। एक भेजने वाला, एक प्राप्तकर्ता, सम्पप्रेषण का माध्यम और संप्रेषित संदेश। दूसरी तरफ प्रचार का अर्थ है संसूचना का एक रुप लोकमत के नियत्रंण के लिए राजनैतिक प्रतीकों के जोड़ तोड़ से इसका गठन होता है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय संसूचनाओं का एक विकसित होता तंत्र है। इसमें सम्मिलित है– रिपोर्टस, समाचार सेवाएं और राष्ट्रीय जन सर्म्पक माध्यम। इसमें दूरदर्शन, कृत्रिम उपग्रहों से प्रसारण, व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें और प्रकाशन आदि शामिल हैं। ये माध्यम फिल्मों, मेले सांस्कृतिक घटनाओं के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं सरकारी व प्राईवेट से भी अनुपूरित होते हैं। इनसे बेहतर हैं संदेश वाहकों के रुप में निजी संसूचनाएं। अन्तर्राष्ट्रीय संसूचनाओं की कठिनाइयां अनेकों है। डेकिसन ने ठीक कहा है, कि – 'यदि हम शब्दार्थ विज्ञान संम्बन्धी कठिनाइयों से ऊबर जायें तो संदेशों को कई तरीकों से तोड़ा मरोड़ा या रोका जा सकता है'। विचारों के स्वतन्त्र संचरण मे जो मुख्य बाधांए

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

है वह है– अक्षमता, पूर्वाग्रह, उपभोक्ता को वह देने का प्रयत्न जो वह चाहता है, विभिन्न प्रकार के सेन्सरशिप (अवरोधक), विभिन्न क्रियाकलाप तथा तकनीकी व आर्थिक कारक।

आज के कम्प्यूटर और नेट वर्किंग (इन्टरनेट) के युग मे प्रसार और संचार माध्यमों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कोई देश यह न चाहते हुए भी कि कोई समाचार उसके देशवासी न जान पायें, उसे रोक पाने में (दूर दर्शन के विभिन्न चौनलों के होने के नाते) अपने को असमर्थ पाता है। दुनिया के विभिन्न कोनों मे घट रही घटनाओं सचित्र चित्रण अब लागों तक बड़ी असानी से और शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जोते हैं। अतः प्रचार और संचार माध्यमों की भूमिका मानवाधिकार के सरंक्षण और सम्वर्धन में और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

निष्कर्ष

मानवाधिकार शिक्षा के क्षेत्र मे यद्यपि प्रसार माध्यमों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परन्तु ये साधन जनसाधारण के पहुँच के बाहर है। इन माध्यमों द्वारा केवल वही लोग लाभ प्राप्त कर सकते है जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है, फिर भी इन माध्यमों की उपयोगिता एवं महत्व को अस्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन माध्यमों को विभिन्न आवश्यक संसाधनों द्वारा सर्वसुलभ करानें पर विचार किया जायें जिससे इनकी उपयोगिता मे वृद्धि हो और ये अपने वांछित अभीष्ट की प्राप्ति कर सकें।

सहायक सन्दर्भ ग्रन्थ

त्रिपाठी डा0 टी0 पी० – *मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि*

उपाध्याय डा० जय जयराम – *मानव अधिकार इन्टरनेशनल ला, वाल्यूम 1992*

दी प्रमोशन एण्ड प्रोटेक्सन आफ हयूमन राइट्स।

कपूर डा0 यम० के0 – *इन्टरनेशनल ला, वाल्यूम*

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language